तारीख हुक्म	(3) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.10.19	पत्रावली पेश। वकील वादी उप० नहीं। बहस सुनी। वास्ते आदेश दि० 23.10.19 को पेश हो।	
3 10/19	पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। समयाभाव के निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते आदेश 30.10.19 को पेश हो।	
30 10/19	पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। वास्ते आदेश 8.11.19 को पेश हो।	
8 11/19	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० नहीं। वास्ते आदेश 13.11.19 को पेश हो।	
13.11.19	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं। वास्ते आदेश हेतु दिनांक 18-11-19 को पेश हो।	
11/19	पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। वास्ते बहस पत्रावली 28.11.19 को पेश हो।	
.11.19	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित है। बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर सम्यक विचार किया गया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया। वादी द्वारा वादपत्र में अंकित/वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोष आदि वादी द्वारा अनुतोष याचना के अनुसरण में 28/11/19	

तारीख हुक्म	(5) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहव हुक्म में
	प्रस्तुत साक्ष्यादि पर सम्यक विचार किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादी ग्राम गुडाला की भूमि आराजी नम्बर 803 की रकबा 2.18 हेक्टर के हिस्सा 17/20 में से प्रति० नम्बर 1 से 8 का नाम हटवा कर बाद खातेदारी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाहते हैं। साथ ही साथ उक्त भूमि पर वादी खातेदार की जाति गोस्वामी के स्थान पर लोधा दर्ज करवाना चाहते हैं। वादीगण का कथन है, कि वादग्रस्त भूमि विभाजन में वादी के पिता ओंकार पुत्र रामचंद्र को प्राप्त हुई थी। वादी के पिता ओंकार के छोटे भाई जगन्नाथ के कोई संतान नहीं थी, इस कारण उन्होंने वादी के सगे भाई रामनारायण को गोद रख लिया था। इस कारण ओंकार के हिस्से की भूमि अकेले वादी को प्राप्त हुई है। प्रति० 1 ता 8 का नाम त्रुटिपूर्वक दर्ज चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वादी की जाति त्रुटिपूर्वक लोधा के स्थान पर गोस्वामी दर्ज चली आ रही है। अपने कथनों के समर्थन में वादी ने स्वयं का शपथ-पत्र PW-1, शपथ पत्र महेन्द्रपाल PW-2, शपथ-पत्र रमेश प्रदर्श-3 नकल जमाबंदी ग्राम गुडाला सं० 2038-2049 प्रदर्श-1 नकल फर्द मिलान सन् 2004-24 ग्राम गुडाला	

28/11/19

तारीख / ...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रदर्श-2, नकल जमाबंदी 2072-75 खाता नं. 114 नकल जमाबंदी ग्राम ~~खुडाला~~ ~~बल~~(पुर) 2071-74 खाता नं. 50 व 127 पेश की है।

इसके प्रदर्श-1 वादग्रस्त भूमि साबिक आराजी नम्बर 625 (रकबा 9311) चौथमल, लक्ष्मण, ओंकार जगन्नाथ S/O रामचंद्र लोधा के नाम पर दर्ज रिकार्ड थी तथा फर्द मिलान साबिक आराजी नं. 625 (रकबा 9311) से हाल आराजी नं. 803 रकबा 2.18 हैक्टेयर दौराने बन्दोबस्त पैमूद किया जाना प्रमाणित होता है। उक्त प्रदर्श-1 में नामांतरण नं. 3266 चौथमल के बजाय प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का नाम दर्ज किया गया। उक्त रिकार्ड में खातेदारों की जाति लोधा ही अंकित है।

वादग्रस्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 803 रकबा 2.18 हे० भूमि प्रति० नं. 1 से 9 के अलावा अन्य खातेदार जगन्नाथ के भी नाम दर्ज थी जगन्नाथ का लाओलाद फौत होना कथन किया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह प्रमाणित होता है, कि वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी नं. 1 से 8 की पैतृक संपत्ति है, किन्तु वादी द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह तय किया जा सके कि वादग्रस्त भूमि पर से प्रतिवादी 1 से 8 या इनके पूर्वजों के खातेदारी स्वत्व समाप्त होकर एकमात्र वादी के खातेदारी स्वत्व प्रोद्भूत हो गये हों।

प्रकरण में वादी द्वारा यह भी प्रमाणित नहीं किया है, कि रामनारायण जो कि प्रतिवादी 6 से 8 के पूर्वज है, वह जगन्नाथ के गोद चला

24/11/14

तारीख हुक्म	(6) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा
	गया हो, और उस गोदनामे के परिणामस्वरूप उसको उसके पैतृक संपत्ति के स्वत्व से वंचित कर दिया गया हो। वादी द्वारा ऐसा एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर से प्रतिवादी नं. 1 से 8 के खातेदारी स्वत्व का अवसान होकर वादी का एकमेव खातेदारी-स्वत्व प्रोद्भूत हो गया हो। पत्रावली रिकार्ड के अवलोकन उपरान्त यह पाया जाता है, कि सिवाय प्रतिवादी नं० 9 वादग्रस्त भूमि पर कतिपय खातेदारों की जाति लोधा के स्थान पर गोस्वामी त्रुटिपूर्ण दर्ज है। प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के उपरान्त वाद वादी अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि वादग्रस्त भूमि ग्राम गुडाला खसरा नं: 803 रकबा 2.18 हैक्टयर पर सोहनबाई (प्रति० 9) के अलावा बकाया खातेदारों की जाति गोस्वामी के स्थान पर लोधा दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। बकाया अनुतोष वादी अस्वीकार किये जाते हैं। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो। पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 28.11.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया। 28/11/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	

(7)

Jud l/Civil
Part IV-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~इब्तदाई~~

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

आज अदालत — उपखण्ड अधिकारी — मुकाम — रामगंजमण्डी

व इजलास — चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

सीताराम — बनाम — प्रभूलाल

दावा बाबत — 53, 88, 89, 188 R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं. — 122 — सन् — 2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल ~~कतई रू-ब-रू~~ — चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

बहाजरी — श्री जितेन्द्र भाटी एड. — मिनजानिब मुद्दई व — x

— मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी की जाती है कि

वाद वादी अंशत: स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम गुडाला की भूमि ख0नं0 803 रकबा 2.18 हैक्टर पर सोहनबाई (प्रति0 नं 9) के अलावा बकाया खातेदारों की जाति गोस्वामी के स्थान पर लोधा दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे बकाया अनुतोष वादी अस्वीकार किये जाते हैं।

बीज — x — मुबलिग — x — बाबत — x

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह — x — फीसदी सालाना आज की तारीख

तारीख वसूलयाबी तक — x — को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख — 28 — माह — 11 — 2019

जारी की गई।

दस्तखत — 28/11/19

ओहदा — उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जीदावा ..			स्टाम्प वकालतनामा ..		
स्टाम्प वकालतनामा ..			स्टाम्प अर्जी ..		
स्टाम्प वजह सबूत ..			महनताना वकील पर ..		
महनताना वकील ..			खर्चा गवाहान ..		
खर्चा गवाहान ..			फीस कमिश्नर ..		
फीस कमिश्नर ..			बाबत इजराय हुक्मनामा ..		
बाबत इजराय हुक्मनामा ..			मुतफर्रिक ..		
मुतफर्रिक ..					
मीजान ..	—		मीजान ..	—	

— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

इ.जो.-40-2004-1,00,000 प्र.

28/11/19
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी